## दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 2 जनवरी, 2012 पौष 18, 1933 (शक)

संख्या-145

## गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को प्राप्त करने की अंति तिथि यानिकि शुक्रवार 30 दिसम्बर, 2011 तक विधान सभा सचिवालय को 24 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यदिवस शुक्रवार 13, जनवरी 2012 को चर्चा के लिए लिया जाएगा:—

क.सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय
1.	श्री नसीब सिंह	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली कोपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2003 एवं नियम 2007 के खंड 35 एवं 92 जोकि जनहित की श्रेणी में आते हैं, में आवश्यकतानुसार सशोंधन किया जाए जिससे कि दिल्ली के लोगों का भला हो सके।
2.	श्री मोहन सिंह बिष्ट श्री ओ.पी. बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की पेंशन रू. 1000/— रूपये को बढ़ाकर रू. 2000/— कर दी जाए।
3.	श्री वीर सिंह धिंगान	यह सदन संकल्प करता है कि कुष्ट आश्रम में उन सभी कुष्ट रोगियों को जो सरकार से गुजारा भत्ता पेंशन प्राप्त कर रहे है को ए.पी.एल. राशन कार्ड होने के बावजूद भी बी.पी.एल. में माना जाए।

पी.एन.मिश्रा सचिव

## **Delhi Legislative Assembly**

**BULLETIN (PART-II)** 

(General information relating to Legislative and other matters)

Monday, 2<sup>nd</sup> January, 2012/Posh 18, 1933 (Saka)

No. 145

## **Private Members Resolution**

Hon'ble Members are hereby informed that 24 (twenty four) notices of resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e., Friday, 30.12.2011. The following three resolutions were selected on 30.12.2011 on the basis of balloting. These would be taken up for discussion on the Private Members Day i.e. Friday the 13<sup>th</sup> January, 2012:-

S.No.	Name of the Hon'ble MLA	Text of the Resolution
1.	Shri Naseeb Singh	This House resolves that Sections 35 and
*		92 of Delhi Cooperative Societies Act,
		2003 and Rule, 2007, which come in the
		category of public interest, be suitably
		amended for the welfare of the citizens of
		Delhi.
2.	Shri Mohan Singh Bisht	This House resolves that pension to Senior
	Shri O.P. Babber	Citizens, Handicapped Persons, Widows
		and destitute women be increased from Rs.
		1000/- to Rs. 2000/- per month.
2	Shri Veer Singh Dhingan	This House resolves that all the Leprosy
		patients of the Leprosy Homes, who are
		receiving maintenance allowances pension
		from the Government, shall be treated as
		BPL, even if they possess APL ration
		cards.